ललिता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी) (पृष्ठ 1)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (1)

न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी

याचिकाकर्ता - ललिता

बनाम

प्रतिवादी - हरियाणा राज्य और अन्य

2023 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2911

21 दिसंबर, 2022

भारत का संविधान, अनुच्छेद 14- भेदभाव - नियमित आधार पर पीजीटी होम साइंस के रूप में नियुक्त याचिकाकर्ता - नियुक्ति पत्र जारी किया गया लेकिन इस आधार पर नियमित नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है - याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं है - इसलिए नियमित कर्मचारी के लाभों के हकदार हैं - परिणामी लाभ और देरी से भुगतान का इरादा।

ललिता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी) (पृष्ठ 2)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (1)

माना गया कि विभाग द्वारा की गई देरी को याचिकाकर्ता के नियमित चयन और नियुक्ति के लाभ से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता । जो याचिकाकर्ता पद के लिए पूर्ण योग्य हो और उसे विज्ञापित पदों में से एक के लिए विधिवत चयनित किया गया हो और वास्तव में वह नियमित नियुक्ति के बाद भी विभाग में अतिथि व्याख्याता के रूप में काम कर रहा है, याचिकाकर्ता एक पद के लाभ का हकदार है।

नियुक्ति आदेश दिनांक 14.12.2013 (अनुलग्नक पी-7) को ध्यान में रखते हुए उसे नियमित पदधारी मानते हुए नियमित कर्मचारी बनाया जाए।

(अनुच्छेद 12)

याचिकाकर्ता के वकील सूर्य प्रकाश।

संदीप सिंह मान, अतिरिक्त सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

ललिता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी) (पृष्ठ 3)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (1)

न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी (मौखिक)

(1) वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि हालांकि याचिकाकर्ता को नियमित आधार पर चुना गया है और दिसंबर 2013 में नियुक्त किया गया है, लेकिन उसे नियमित रोज़गार का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है और वह भी बिना किसी वैध औचित्य के। इसलिए, याचिकाकर्ता को नियुक्ति की तारीख से सभी महत्वपूर्ण लाभों के साथ एक नियमित पदधारी के सभी लाभ दिए जाएं।

(2) याचिका में उल्लेखित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कनीना मंडी में जनवरी 2006 से अतिथि व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया था और और उन्होंने 30.07.2006 तक इस पद पर कार्य किया और उसके बाद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। एक बार फिर, याचिकाकर्ता ने 17.05.2007 को अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया जब याचिकाकर्ता काम कर रहा था, तब याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसरण में पीजीटी गृह विज्ञान के पद के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने

उक्त पद पर प्रतिस्पर्धा के लिए पात्रता का दावा किया और उसके लिए आवेदन किया 20.01.2013 से पहले यानी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि। आवेदन के साथ, याचिकाकर्ता ने अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने के साथ-साथ आवेदन की तिथि तक याचिकाकर्ता के पास जो अनुभव था, उसके संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए।

(3) उचित विचार के बाद और याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को योग्य पाया और उसे विज्ञापित पदों की संख्या के खिलाफ चयन प्रक्रिया में उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए पीजीटी होम साइंस के पद के लिए चुना गया। याचिकाकर्ता को 9300-34800 +4800 ग्रेड पे के वेतनमान में दिनांक 14.12.2013 (अनुबंध पी-7) के नियुक्ति आदेश के तहत प्रतिवादियों द्वारा पीजीटी होम साइंस के रूप में नियुक्त किया गया था।

(4) याचिकाकर्ता के आरोप के अनुसार, हालांकि पहले से ही याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमित आधार पर की गई थी, लेकिन इस आधार पर उसे कोई लाभ नहीं

दिया जा रहा था कि उसका अनुभव प्रमाण पत्र अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है।

(5) चूंकि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के प्रशंसापत्र के सत्यापन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया और नियमित आधार पर नियुक्ति आदेश होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को अतिथि व्याख्याता के रूप में माना जा रहा था। प्रतिवादियों की उक्त कार्रवाई के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर की कि प्रतिवादियों को नियुक्ति आदेश की तारीख से याचिकाकर्ता को नियमित पदाधिकारी के रूप में मानने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नियमित कर्मचारी के लिए स्वीकार्य सभी लाभ जारी करने का निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता बिना किसी रुकावट के उक्त पद पर प्रतिवादी-विभाग के साथ काम कर रहा है।

(6) प्रस्ताव की सूचना के बाद, प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल किया है, जिसमें याचिकाकर्ता का तथ्य यह है कि 2007 से लगातार अतिथि व्याख्याता के रूप में कर्त्तव्यों

का निर्वहन किया जा रहा है और दिसंबर 2013 में नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति स्वीकार की जाती है। जवाब में, प्रतिवादियों ने उल्लेख किया है कि नियमित नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापन के लिए भेजा गया था और अस्तित्व में आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की शैक्षिक योग्यता या यहां तक कि अनुभव को दर्शाने वाले किसी भी प्रमाण पत्र में कोई विसंगति नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में दिया गया प्रमाण पत्र, जिसे पीजीटी होम साइंस के रूप में याचिकाकर्ता का चयन और नियुक्ति करते समय ध्यान में रखा गया था, चूंकि चयन की तारीख से आठ साल की देरी हुई है, इसलिए याचिकाकर्ता अपनी नियमित नियुक्ति के लाभ का दावा नहीं कर सकती है।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी यथायोग्य सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(8) यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता 17.05.2007 से प्रतिवादियों के साथ लगातार काम कर रहा है। यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता ने हरियाणा विद्यालय

ललिता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी) (पृष्ठ 7)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (1)

शिक्षक चयन बोर्ड द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में पीजीटी होम साइंस के पद के लिए आवेदन किया था और याचिकाकर्ता को विज्ञापित पदों में से एक पर चुना गया था और 14.12.2013 के आदेश के तहत विधिवत नियुक्त किया गया था, जिसकी एक प्रति इस याचिका के साथ अनुबंध पी -7 के रूप में संलग्न की गई है।

(9) उत्तरदाताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता को नियमित नियुक्ति का लाभ नहीं देने में एकमात्र बाधा यह थी कि अनुभव प्रमाण पत्र सहित उसके प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजे गए थे, जिसे सत्यापित करने में लंबा समय लगा, इसलिए, इस विलंबित अवस्था में,, याचिकाकर्ता को नियमित आधार पर शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(10) तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का किसी भी तरह से कोई दोषनहीं है और याचिकाकर्ता को विभाग की निष्क्रियता के कारण हुई असाधारण देरी के लिए दंडित किया जा रहा है। इसी विभाग द्वारा प्रशंसापत्रों का सत्यापन करना था। इसके अलावा, अब यह स्वीकार्य है कि सत्यापन के बाद भी, याचिकाकर्ता के किसी भी

प्रशंसापत्र में कोई विसंगति नहीं पाई गई है क्योंकि याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यक योग्यता के साथ-साथ अनुभव को भी पूरा किया है। ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता को बिना किसी वैध औचित्य के विभाग द्वारा उसके लाभों से दूर रखा गया है ।

(11) प्रतिवादियों द्वारा दायर उत्तर में, निम्नलिखित कथन किए गए हैं: -

"7. इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 3 से एक याचिका प्राप्त हई है, जिसके तहत उन्होंने याचिकाकर्ता के 4 साल के कार्य अनुभव को पूरा नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। तथापि, तत्कालीन शाखा अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। अब विभाग द्वारा उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

8. इसके बाद, 15.10.2020 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता से एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ। तदनुसार, याचिकाकर्ता के उक्त लिखित अनुरोध के आधार पर, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के दावे को विभागीय दस्तावेज सत्यापन समिति (इसके

बाद 'डीवीसी' के रूप में संदर्भित) को भेज दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 08.01.2021 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता से संबंधित दस्तावेजों को देखने के बाद, डीवीसी ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अनुभव संबंधी योग्यता नियमों के अनुसार है और उसके पास 5 साल 5 महीने और 8 दिन का अनुभव है। चूंकि लगभग आठ साल की देरी हुई है, इसलिए याचिकाकर्ता का मामला मान्य नहीं है और देरी के आधार पर बर्खास्तगी के लिए उत्तरदायी है। डीवीसी की रिपोर्ट के अनुसरण में, याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश में संदर्भित नियमों और शर्तों के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे की बारीकी से जांच की गई, तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि याचिकाकर्ता का दावा देरी के कारण मान्य नहीं है, इसलिए, याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया था।

(12) विभाग के कारण होने वाली देरी को याचिकाकर्ता को नियमित चयन और नियुक्ति के लाभ से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। एक बार, याचिकाकर्ता पूर्ण योग्य था और विज्ञापित पदों में से एक के लिए विधिवत चुना गया

था और वास्तव में नियमित नियुक्ति के बाद भी अतिथि व्याख्याता के रूप में विभाग के साथ काम कर रहा है, याचिकाकर्ता 14.12.2013 के नियुक्ति आदेश (अनुबंध पी -7) को ध्यान में रखते हुए उसे नियमित पदाधिकारी के रूप में मानते हुए एक नियमित कर्मचारी के लाभों का हकदार है।

(13) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि नियमित आधार पर याचिकाकर्ता के चयन के बाद भी उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को अतिथि शिक्षक के रूप में माना, इसलिए उत्तरदाताओं के कार्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। एक बार जब याचिकाकर्ता नियमित चयन के बाद पहले से ही प्रतिवादियों के साथ काम कर रहा था, तो याचिकाकर्ता को उसके प्रशंसापत्र के सत्यापन के अधीन सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए नियमित पदाधिकारी के रूप में मानते हुए भुगतान किया जाना चाहिए था। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक बार नियमित नियुक्ति दिए जाने के बाद, उम्मीदवार को इस बहाने से शामिल होने या कर्त्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि पहले दस्तावेजों को सत्यापित किया जाना है। ऐसा होने पर,

याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों के साथ 14.12.2013 के नियुक्ति आदेश से उत्पन्न सभी लाभों का हकदार है।

(14) याचिकाकर्ता को यदि 14.12.2013 से पीजीटी होम साइंस के पद के नियमित वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, तो नियुक्ति आदेश की तारीख यानी 14.12.2013 से बकाया राशि के साथ उक्त पद के नियमित वेतन का भुगतान किया जाएगा। याचिकाकर्ता उक्त नियमित नियुक्ति के बकाया के लिए भी हकदार होगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को 14.12.2013 से सभी प्रयोजनों, उद्देश्यों और वरिष्ठता, वेतन के साथ-साथ आगे पदोन्नति सहित अन्य लाभों के लिए पीजीटी होम साइंस के पद पर नियमित पदाधिकारी के रूप में माना जाना है।

(15) अब सवाल उठता है कि क्या याचिकाकर्ता बकाया राशि पर ब्याज देने का हकदार है या नहीं।

ललिता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी) (पृष्ठ 12)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (1)

(16) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि पीजीटी होम साइंस के पद पर काम करने और नियमित रूप से चयनित कर्मचारी होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को उक्त नियमित पद का वेतनमान और अन्य लाभ नहीं दिए गए थे। याचिकाकर्ता को समान लाभ से वंचित कर दिया गया था और उक्त इनकार केवल उत्तरदाताओं की लापरवाही के कारण था। प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि उन्होंने लापरवाही की । एक बार, उत्तरदाताओं ने अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में लापरवाही बरती, जिससे याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो गया, याचिकाकर्ता को राशि बकाया होने की तारीख से 6% प्रति वर्ष ब्याज का हकदार माना जाता है, जब तक कि उसका वास्तविक भुगतान नहीं हो जाता क्योंकि याचिकाकर्ता का दावा जे. एस. चीमा बनाम हरियाणा राज्य[1] में कानून के स्थापित सिद्धांत द्वारा कवर किया जाता है। जिसमें यह माना गया है कि एक कर्मचारी उस राशि पर ब्याज का

---

[1] **2014 (13) आरसीआर (सिविल)355**

ललिता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी) (पृष्ठ 13)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (1)

हकदार होगा जिसे उत्तरदाताओं द्वारा अवैध औचित्य के बनाए रखा गया है। जे.एस. चीमा के मामले (पूर्व) का प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार है:-

पीठ ने कहा, 'ब्याज देने का न्यायिक आधार यह तथ्य है कि एक व्यक्ति के धन का इस्तेमाल किसी और ने किया। यह उस अर्थ में धन के उपयोग के लिए किराया है। यदि उपयोगकर्ता को उस व्यक्ति की ओर से किसी भी लापरवाही से जोड़ा जाता है जिसके पास पैसा पड़ा है तो इसके परिणामस्वरूप दर उच्च हो सकती है क्योंकि तब इसमें नुकसान का घटक (ब्याज के रूप में) भी शामिल हो सकता है। इन परिस्थितियों में, भले ही राज्य की ओर से कोई लापरवाही न हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता का पैसा राज्य की हिरासत में था और उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था।

(17) इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और प्रतिवादियों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता भी लागत का हकदार होगा जो 25,000 रुपये पर आंका गया है। उक्त

लागत का भुगतान उस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो नियमित रूप से चयनित होने के बावजूद याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित करने के लिए जिम्मेदार है ।

(18) इस आदेश की प्रति प्राप्त होने से दो महीने की अवधि के भीतर वर्तमान आदेश का अनुपालन किया जाए।

(19) वर्तमान रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है।

दिव्य सरूप

ललिता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी) (पृष्ठ 15)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (1)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा